

मु. नं. 36/24 अमरचंद्र केलशाचन्द

3-10-25 बार एमो. खान
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराम उप.
P.O. साहब वर/अवकाश पर बमारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक

..... 15-10-25 को पेश हो।
15-10-25. पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उप.
प्रति. सं. 10, 12, 13 की वकील रिपोर्ट
प्राप्त नहीं, और इंजिनर होकर
पत्रावली दिनांक 29-10-25 को पेश
हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगर (अजमेर)

29-10-25 पत्रावली पेश हुई। वारी स्वयं उपस्थित।
वारी ने पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं
चाहने के कारण विद्रो करने बाबत
प्रार्थना-पत्र पेश किया। वारी ने पहचान-
स्वरूप आधार कार्ड सं. 316074511687
की स्व-हस्ताक्षरित प्रति पेश की। वारी
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वारी को
बुना गया। वूंकि वारी द्वारा उक्त वाद
को "चलाना नहीं चाहता हूं" जाहिर किया
है। अतः वारी का वाद खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फेसल कुमार होकर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगर (अजमेर)

मै. वारी की
संपत्ति नहीं
पहचान
अमरचन्द्र